न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

थाना –कोतवाली विकासनगर
धारा 3(1)गुण्डा अधिनियम

वाद संख्या–15 / 2025

आसिफ

बनाम

सरकार

निर्णय

वाद की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के पत्रांक वाचक–39(09) / 2025 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर की चालानी रिपोर्ट दिनांक 12.09.2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली विकासनगर द्वारा अपनी चालानी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त आसिफ पुत्र राशिद निवासी मुस्लिम बस्ती चौकी बाजार के पीछे कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून उक्त पता का निवासी है। आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून में चोरी, नकबजनी, लूट के कई अभियोग पंजीकृत है, तथा वर्तमान में मा0 न्यायालय से जमानत पर है। लोग अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने से भी डरते हैं। समाज में इसका भय व्याप्त है। अभियुक्त आसिफ एक शातिर किस्म का गुण्डा प्रवृत्ति का अभयस्त अपराधी है, जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिए खतनाक है। अभि० आसिफ उपरोक्त का समाज में स्वछन्द रुप से घूमना समाज के लिए खतरनाक है। अभियुक्त आसिफ के विरुद्ध कोतवाली विकासनगर पर अध्याय 17 व अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत हैः–

1. मुकदमा अपराध सं. 368 / 21 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
2. मुकदमा अपराध सं. 515 / 21 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
3. मुकदमा अपराध सं. 372 / 22 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
4. मुकदमा अपराध सं. 480 / 19 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
5. मुकदमा अपराध सं. 287 / 23 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
6. मुकदमा अपराध सं. 108 / 20 धारा 392, 356, 441 IPC कोतवाली विकासनगर,
7. मुकदमा अपराध सं. 109 / 20 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
8. मुकदमा अपराध सं. 147 / 22 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
9. मुकदमा अपराध सं. 61 / 24 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
10. मुकदमा अपराध सं. 403 / 23 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
11. मुकदमा अपराध सं. 188 / 23 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
12. मुकदमा अपराध सं. 325 / 22 धारा 25 / 4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
13. मुकदमा अपराध सं. 11 / 21 धारा 394, 411, 506 IPC कोतवाली विकासनगर,
14. मुकदमा अपराध सं. 478 / 19 धारा 394, 411, 34 IPC कोतवाली विकासनगर,
15. मुकदमा अपराध सं. 225 / 25 धारा 3(5) / 304 (2) / 317 (2) BNS कोतवाली विकासनगर

अभियुक्त आसिफ उपरोक्त एक गुण्डा प्रवृति का व्यक्ति जिसकी आम शौहरत ठीक नहीं है तथा आम जनमानस मे स्वछन्द विचरण जनता के हित में ठीक नहीं है। आम जनता में इनका भय व्याप्त है कोई भी इनके विरुद्ध गवाही देने हेतु तैयार नहीं होता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा आसिफ पुत्र राशिद निवासी मुस्लिम बस्ती चौकी बाजार के पीछे कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून के विरूद्ध विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि० के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के माध्यम से प्राप्त प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून की चालानी रिपोर्ट व नकलचिकों का अवलोकन किया और विपक्षी आसिफ पुत्र राशिद निवासी मुस्लिम बस्ती चौकी बाजार के पीछे कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून को भा0द0वि0 के अध्याय 16, 17 ,22 के अन्तर्गत उल्लिखित आपराधिक कृत्यों को करने तथा आयुध अधिनियम का प्रथम दृष्टया अभ्यस्त पाया गया है, जिसके आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 09.10.2025 धारा–3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम–1970 के अन्तर्गत

स जारी किया गया तथा विपक्षी से अपेक्षा की गयी कि व न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षी को नोटिस की तामीली बजाज खास करायी गयी। विपक्षी नियत तिथियों में न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। विपक्षी को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी विपक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया है कि उक्त विपक्षी के विरूद्ध 11 मुकदमें आयुध अधिनियम तथा 03 मुकदमें भारतीय दण्ड संहिता एवं 01 मुकदमा भारतीय न्याय संहिता के पंजीकृत है।

धारा 2(ख)(iii)उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1970 के अनुसार गुंडा से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:–

जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा–153 या धारा 153–ख या धारा–294 या उक्त संहिता के अध्याय 15, अध्याय, 16, अध्याय–17 या अध्याय–22 के अधीन दंडनीय अपराध को अभयास्तः कारित करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है,

(IV) जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति की हो।

इस कारण विपक्षी आसिफ पुत्र राशिद निवासी मुस्लिम बस्ती चौकी बाजार के पीछे कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम की धारा 3(1) की कार्यवाही संस्थित किये जाने के प्रथम दृष्टया सुसंगत आधार है।

अभियोजन पक्ष के तर्को को सुनने के उपरान्त मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इसके विरूद्ध थाने पर व जनपद के अन्य थानो पर निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत है:–

1. मुकदमा अपराध सं. 368/21 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
2. मुकदमा अपराध सं. 515/21 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
3. मुकदमा अपराध सं. 372/22 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
4. मुकदमा अपराध सं. 480/19 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
5. मुकदमा अपराध सं. 287/23 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर,
6. मुकदमा अपराध सं. 108/20 धारा 392, 356, 441 IPC कोतवाली विकासनगर,
7. मुकदमा अपराध सं. 109/20 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
8. मुकदमा अपराध सं. 147/22 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
9. मुकदमा अपराध सं. 61/24 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
10. मुकदमा अपराध सं. 403/23 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
11. मुकदमा अपराध सं. 188/23 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
12. मुकदमा अपराध सं. 325/22 धारा 25/4 Arms Act, कोतवाली विकासनगर
13. मुकदमा अपराध सं. 11/21 धारा 394, 411, 506 IPC कोतवाली विकासनगर,
14. मुकदमा अपराध सं. 478/19 धारा 394, 411, 34 IPC कोतवाली विकासनगर,
15. मुकदमा अपराध सं. 225/25 धारा 3(5)/304 (2)/317 (2) BNS कोतवाली विकासनगर

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है।

मैं अभियोजन पक्ष के इस तर्क से सहमत हूँ कि विपक्षी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। लोगों धमकाने डराने का आदि है ऐसी स्थिति में विपक्षी के अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाया जाना लोक शान्ति तथा जनहित में आवश्यक हैं तथा विपक्षी के आपराधिक गतिविधियों से लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, जनसाधारण में अमन, चैन व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए विपक्षी का स्वतन्त्र विचरण करना जनहित में उचित नहीं है। उक्त पंजीकृत अपराधों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी अपराधी किस्म का व्यक्ति है। विपक्षी का अपराधिक इतिहास, उक्त गुण्डा एक्ट में दिये गये परिभाषाओं के अनुसार गुण्डा घोषित करने के लिए पर्याप्त है।

मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हर्ष नारायण बनाम जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद, 1972 ए०डब्ल्यू०आर० 632/1972 ए०एल० जे० 762/1972 इलाहाबाद क्रिमनल रूल 404 के मामले में अवधारित किया है कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) (ग) में वर्णित शर्तों को पूर्ण

करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुण्डा व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने की तिथि पर आपराधिक अभियोग अवश्य ही लम्बित होने चाहिए। इतना पर्याप्त है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही या भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत अभियोजन कार्यवाही या स्त्री तथा लड़की, अनैतिक व्यापार गमन अधिनियम 1956 या उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन कार्यवाही प्रमाणित करने हेतु खण्ड (ग) में अंकित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतः साझीगण गुण्डा व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य देने का साहस नहीं करते है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित करने के लिये निरोधात्मक कार्यवाही या किसी अभियोजन का लम्बित होना आवश्यक नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान गुण्डा व्यक्ति के सम्बन्धित भूत एवं वर्तमान दोनो कालों के समय घटित अनुभवों के विधिसम्मत आधार पर निर्भर हो सकता हैं इस दृष्टिकोण से कि यदि गुण्डा व्यक्ति के विरूद्ध विवादित आदेश के पारित किये जाने की तिथि पर कोई भी आपराधिक अभियोग न भी लम्बित हो तो तब भी यह तथ्य धारा 3(1) (ग) में निहित शर्तों के अस्तित्व के आधार पर विधिसम्मत समाधान को निष्फल नहीं करता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यो तथा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आधार पर विपक्षी आसिफ पुत्र राशिद निवासी मुस्लिम बस्ती चौकी बाजार के पीछे कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अर्न्तगत कार्यवाही करना मैं उचित समझता हूँ। अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

::आदेश::

विपक्षी आसिफ पुत्र राशिद निवासी मुस्लिम बस्ती चौकी बाजार के पीछे कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 09.10.2025 की पुष्टि की जाती है तथा विपक्षी को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अर्न्तगत जनहित में ''गुण्डा'' घोषित करते हुए आदेश के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया जाता है। इस अवधि में विपक्षी इस जनपद में किसी कारण वश यदि प्रवेश करेगा तो उसकी सूचना इस न्यायालय को देगा और स्वीकृति उपरान्त ही स्वीकृत अवधि के लिए इस जनपद में प्रवेश करेगा। विपक्षी को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह जनपद की सीमा से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता इस न्यायालय को एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर, जनपद देहरादून को उपलब्ध करायेगा। विपक्षी धारा–3 में पारित इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, किन्तु 6 माह से कम नहीं होगा, के दण्ड और जुर्माने का भी भागी होगा। आदेश की एक प्रति विपक्षी को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर, जनपद देहरादून के माध्यम से प्रेषित की जाये। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर, जनपद देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील कर, 24 घण्टे के अन्दर उपरोक्त विपक्षी को जनपद से अन्यत्र चले जाने के निर्देश दें तथा अनुपालन आख्या इस न्यायालय को प्रेषित करें। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को भी अनुपालपार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

उक्त आदेश आज दिनांक 21–04–2026 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।